

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ संकल्प ॥

विषय:- विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन अनुमोदन के संबंध में।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत अनुशंसा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3/एम०-19/2015 साठप्र०-6161, दिनांक 24.04.2015 द्वारा किया गया। संकल्प ज्ञापांक 3/एम०-19/2015 साठप्र०-2423, दिनांक 20.02.2018 द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक-12.08.2018 तक के लिए विस्तारित किया गया। समिति द्वारा दिनांक-07.08.2018 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

2. समिति ने प्रत्येक योजना/विभाग के तहत कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के संविदा कर्मियों के संबंध में भी अनुशंसाएँ दी हैं, जिनमें वास्तव में समिति द्वारा दी गयी नीतिगत अनुशंसाओं में से कौन-कौन सी अनुशंसाएँ विभिन्न कर्मियों के संबंध में लागू होंगी, का उल्लेख है।

उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाएँ दो परिस्थितियों में की गयी हैं-

(i) कुछ परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यकाल सीमित है। ये परियोजनायें प्रायः केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त सम्पोषित परियोजनायें/योजनायें हैं एवं सीमित अवधि के लिए स्वीकृत होती है। निर्धारित अवधि के बाद इनका कार्यान्वयन केन्द्र सरकार/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृति पर आधारित है। अतः नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर परियोजनाओं की अवधि के लिए की जाती हैं। इस श्रेणी में वैसी नियुक्तियाँ भी सम्मिलित हैं जहाँ पदों का सृजन ही अस्थाई है एवं संविदा नियुक्त हेतु ही किया गया है।

(ii) दूसरी रिधि में पद स्थायी है, लेकिन संविदा पर नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों के लिए अनुशंसा देने में विलम्ब के कारण उस समय तक की जाती है, जब तक नियमित नियुक्तियाँ न हो जाए।

3. अनुशंसाओं को लागू करने हेतु समिति द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित करने की अनुशंसा की गयी है –

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3/एम-78/2005-का० 2401, दिनांक-18.07.2007 द्वारा संविदा पर नियुक्तियों के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। अतः यह आवश्यक है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3/एम-78/2005-का० 2401, दिनांक 18.07.2007 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अनुशंसाओं का समावेश कर संशोधित संकल्प निर्गत किया जाए। तत्पश्चात् सभी विभागों द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(ii) प्रत्येक विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा एक वरीय पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर के रूप में नामित किया जाएगा जो समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन संबंधी संचिकाओं को सचिव/प्रधान सचिव को सीधे उपस्थापित कर सकेंगे। नोडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए समय सीमा के अंदर समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

4. समिति की अनुशंसाओं पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं—
- (i) उपर्युक्त दोनों श्रेणी के संविदा कर्मियों के संबंध में समिति की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार का निर्णय परिशिष्ट—‘क’ के रूप में संलग्न है।
 - (ii) बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा सभी विभागों द्वारा ली जा रही है। अतः सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संदर्भ में पुनर्विचार कर अनुशंसा समर्पित करने हेतु इस मामले को उच्च स्तरीय समिति को वापस किया जाय।
 - (iii) कतिपय विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों, जिनके संदर्भ में समिति द्वारा समर्पित विचाराधीन प्रतिवेदन में कोई अनुशंसा नहीं की गयी है, के संदर्भ में पुनर्विचार कर अपनी अनुशंसा समर्पित करने हेतु समिति को निर्देशित किया जाय।
 - (iv) जिन मामलों में समिति द्वारा अनियमित/अवैध नियुक्तियों की चर्चा की गयी है, उन मामलों में प्रशासी विभाग विधिक राय प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई करेगा।
5. यह तुरत प्रवृत्त होगा।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3 / एम0-13 / 2018सा0 12534 / पटना-15, दिनांक 17-9-18

प्रतिलिपि— वित्त विभाग (ई-गजट प्रशास्त्र), बिहार, पटना बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3 / एम0-13 / 2018सा0 12534 / पटना-15, दिनांक 17-9-18

प्रतिलिपि— मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार अभिलेखागार, बेली रोड/विपार्ड, वाल्मी, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव

उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर सरकार का निर्णय

	क्र० सं०	समिति की अनुशंसा	राज्य सरकार का निर्णय
मुख्य अनुशंसाएँ	1.	<p>क. संविदा कर्मियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा योजना अवधि, जो भी पहले हो, तक कार्य करने के संबंध में (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 276-278) –</p> <p>समिति की अनुशंसा है कि मंत्रिमंडल द्वारा समिति की अनुशंसाओं के अनुमोदन के पश्चात् प्रत्येक संबंधित विभाग/प्राधिकार/निगम/सोसाइटी द्वारा सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त कर इस आशय का कार्यालय आदेश निर्गत किया जा सकता है कि संविदा कर्मियों की यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी है तथा योजना/पद स्वीकृति की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिये है। इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख होगा कि अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा के कारण या सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु होने पर योजना/पद स्वीकृति की अवधि के पूर्व अथवा नियमित नियुक्ति होने के पूर्व भी सेवा समाप्त हो जाएगी/की जा सकती है। कार्यालय आदेश में इस बात का भी स्पष्टतया उल्लेख किया जाएगा कि संविदा नियुक्ति की अन्य शर्तें नियुक्ति के समय निर्गत नियुक्ति पत्र, एकरारनामा एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र (जहाँ लागू हो) में अंकित यथावत रहेंगी। यह आदेश संविदा कर्मियों के सभी पदों के लिये अलग निर्गत होगा।</p> <p>यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों द्वारा अलग—अलग आदेश निर्गत करने में विलम्ब हो सकता है एवं इस बीच कई संविदा कर्मियों का वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो सकता है। अतः तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के लिये कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-3/एम०-78/2005-का० 2401, दिनांक 18.07.2007 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों की संगत कंडिकाओं में संशोधन किया जा सकता है।</p> <p>उपर्युक्त के अलावे निम्नलिखित तीन अनुशंसाओं का भी समावेश उक्त ज्ञापांक में किया जा सकता है—</p> <p>(1) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कई बार यह सम्भव है कि संविदा पद/पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों की आवश्यकता उस विभाग में जहाँ वे कार्यरत हैं, नहीं है। लेकिन अन्य विभाग में उसी पदनाम एवं उसी योग्यता के पद रिक्त हैं एवं उन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उन पद/पदों पर नयी नियुक्ति नहीं कर अन्य विभाग में समान पदनाम एवं योग्यता वाले पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों, जिनकी अब उस विभाग में जरूरत नहीं रह गयी है, अन्य विभाग में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। इसके लिये संबंधित विभाग के साथ नये सिरे से एकरारनामा करना होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह सुविधा वैसे संविदा कर्मियों को अनुमान्य नहीं होगी जो अनुशासनिक कारण से हटाये गये हैं।</p> <p>(2) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नियमित नियुक्तियों के लिये ली गयी परीक्षा/साक्षात्कार/अन्य जाँच में कई संविदाकर्मी सफल नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में आगर नियमित नियुक्तियों के उपरान्त भी पद खाली हैं तो उन पर नये सिरे से संविदा के आधार पर नियुक्ति न कर नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया में असफल संविदा कर्मियों को रखा जा सकता है।</p> <p>(3) कुछ मामले समिति के समक्ष आये हैं जहाँ पद रहते हुए भी संविदा कर्मियों को इस कारण हटा दिया गया कि नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इस कारण जहाँ एक और विभागीय काम वाधित होता है, संविदा कर्मियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः समिति की अनुशंसा है कि जहाँ इस तरह के मामले हैं वहाँ हटाये गये संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति होने तक के लिये नियुक्त किया</p>	स्वीकृत।

	जा सकता है।	
2.	<p>ख. मानदेय / पारिश्रमिक (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 278–279) –</p> <p>(i) समिति की अनुशंसा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-3/एम0-78/2005-का0 2401, दिनांक 18.07.2007 की कंडिका-'ध' में पारिश्रमिक / मानदेय के निर्धारण के संबंध में गठित समिति में आंशिक बदलाव की आवश्यकता है।</p> <p>इस समिति का गठन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किया जाना अधिक उपयुक्त होगा जिसके सदस्य सचिव संबंधित विभाग के सचिव / प्रधान सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव / प्रधान सचिव तथा वित्त विभाग के सचिव / प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे।</p> <p>(ii) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय / केन्द्र प्रायोजित / अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सम्पोषित योजनाओं / परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण / पुनरीक्षण केन्द्र सरकार / अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा योजनाओं / परियोजनाओं के लिये निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही किया जा सकता है। प्रायः सभी इस तरह की योजनाओं / परियोजनाओं में संविदा कर्मियों के लिये मानदेय का निर्धारण / पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार राज्य की योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं / परियोजनाओं में मानदेय के निर्धारण / पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है।</p> <p>(iii) अन्य कर्मियों, यथा—अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं वाह्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त कर्मचारियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–2401, दिनांक 18.07.2007 में अंकित वह पारिश्रमिक देय होगा, जहाँ कहा गया है कि “समिति मामले विशेष में बाजार दर को देखते हुये पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी।”</p> <p>(iv) समिति की अनुशंसा है कि निर्धारित पारिश्रमिक ‘न्यूनतम भजदूरी’ से कम नहीं होगा।</p> <p>जिन योजनाओं / परियोजनाओं में मानदेय के निर्धारण / पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है उनके संबंध में यह अनुशंसा लागू नहीं होगी।</p>	स्वीकृत।
3.	<p>ग. अवकाश की अनुमान्यता (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 279–280) –</p> <p>समिति की अनुशंसा है कि सभी संविदा कर्मियों को निम्नलिखित अवकाश देने का प्रावधान किया जा सकता है—</p> <p>(1) आकस्मिक अवकाश— सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 16 दिन,</p> <p>(2) अर्जित अवकाश—एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम अवकाश संचयित किया जा सकता है,</p> <p>(3) मातृत्व अवकाश— प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 “The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017” के आलोक में कंडिका-(त) में मातृत्व अवकाश के संबंध में अनुशंसा की गयी है।</p> <p>(4) पितृत्व अवकाश— 15 दिन (दो बच्चों तक),</p> <p>(5) अवैतनिक अवकाश— 30 दिन।</p> <p>यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनविधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।</p> <p>जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके पद को रिक्त घोषित किया जाएगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।</p>	<p>स्वीकृत।</p> <p>अधोलिखित कंडिका-8 के आलोक में अविचारणीय स्वीकृत।</p>
		<p>स्वीकृत।</p> <p>स्पष्टीकरण— अवैतनिक अवकाश अधिकतम 30 दिन प्रतिवर्ष अनुमान्य होगा।</p>

17/9/16

	<p>जहाँ पूर्व से अवकाश का प्रावधान है, वहाँ यह अनुशंसा लागू नहीं होगी। लेकिन अगर अवकाश की अनुमान्यता उपर्युक्त से कम है, वैसी स्थिति में उपर्युक्त अनुशंसा लागू की जा सकती है। इस बिन्दु की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है कि केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त सम्पोषित परियोजनाओं के तहत देय अवकाश का निर्धारण इन परियोजनाओं की शर्तों के अनुरूप ही करना है।</p>	
4.	<p>घ. <u>सेवा अवधि में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 280)–</u></p> <p>सरकार ने सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एक मुश्त चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय कई श्रेणी के संविदा कर्मियों के मामले में लिया है। समिति की अनुशंसा है कि यह लाभ सभी संविदा कर्मियों को दिया जाए। जिन संविदा कर्मियों के संबंध में यह अनुशंसा लागू नहीं है, उनके संबंध में स्पष्ट उल्लेख संगत कंडिकाओं में किया गया है।</p>	स्वीकृत।
5.	<p>च. <u>संविदा कर्मियों के सेवा अभिलेख का संधारण (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 280)–</u></p> <p>संविदा कर्मियों की यह भी मांग है कि उनके लिए सेवा पुस्तिका संधारित की जाए। समिति इस मांग से सहमत है। इसका एक लाभ यह भी होगा कि प्रत्येक संविदा कर्मी के संबंध में सरकार को एक ही स्थान पर सभी तरह की सूचना उपलब्ध रहेगी। अतः समिति की अनुशंसा है कि सभी संविदा कर्मियों के लिये सेवा अभिलेख संधारित किया जा सकता है। सेवा पुस्तिका के स्थान पर सेवा अभिलेख की अनुशंसा इस कारण की जा रही है जिससे नियमित कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों का अन्तर स्पष्ट रहे।</p> <p>सेवा अभिलेख का स्वरूप क्या होगा, इसका निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा। समिति की अपेक्षा है कि सामान्य प्रशासन विभाग संविदा कर्मियों के लिये एक आदर्श सेवा अभिलेख का प्रारूप तैयार कर सभी विभागों को उसे अपनाने हेतु उपलब्ध करायेगा। लेकिन यह अनुशंसा केवल वर्ग 3 एवं 4 संविदा कर्मियों के संदर्भ में लागू होगी। जो संविदा कर्मचारी नहीं हैं, यथा— किसान सलाहकार, आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, न्याय मित्र अथवा इस तरह के अन्य कर्मी, उनके संदर्भ में यह अनुशंसा लागू नहीं होगी।</p>	<p>स्वीकृत।</p> <p>स्पष्टीकरण— समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं अवर्गीकृत— सभी समूह के संविदा नियोजित कर्मियों के सेवा अभिलेख का संधारण किया जायेगा।</p>
6.	<p>छ. <u>संविदा कर्मियों के लिये यात्रा व्यय (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 280–281) –</u></p> <p>समिति की अनुशंसा है कि ऐसे संविदा कर्मियों, जिन्हें सरकारी कार्य हेतु भ्रमण/प्रशिक्षण पर जाना पड़ता है, के लिये यात्रा व्यय का प्रावधान किया जाना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अधिकतर संविदा कर्मीण पंचायत स्तर पर कार्य करते हैं एवं उनको कार्य क्षेत्र पंचायत है। उनको सरकारी कार्य हेतु पंचायत के बाहर भ्रमण पर नहीं जाना पड़ता है। अतः उनको यात्रा व्यय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब उन्हें प्रशिक्षण अथवा किसी अन्य कार्य के लिये सक्षम प्राधिकार के आदेश/अनुमोदन पर पंचायत के बाहर भेजा जाता है, उस स्थिति में उनको भी यात्रा व्यय मिलना चाहिये।</p> <p>अतः समिति की अनुशंसा है कि यात्रा व्यय किन-किन संविदा कर्मियों को किन-किन परिस्थितियों में अनुमान्य हो, इसका निर्णय विभाग को स्वयं लेना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि यात्रा व्यय आय का श्रोत नहीं है।</p> <p>इस बिन्दु की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है कि केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त सम्पोषित परियोजनाओं के तहत व्यय आय का निर्धारण इन परियोजनाओं की शर्तों के अनुरूप ही करना है।</p>	स्वीकृत।

5/9/19
17/9/18

	7.	<p>ज. संविदा कर्मियों को हटाये जाने की स्थिति में अपील का प्रावधान (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 281) –</p> <p>यद्यपि यह सही है कि कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संविदा कर्मी की सेवा समाप्त की जा सकती है, तथापि मनमाने ढंग से किसी संविदा कर्मी को न हटाया जाए, इसलिए यह आवश्यक है कि संविदा कर्मी की सेवा समाप्ति के विरुद्ध अपील का प्रावधान हो। अपील का स्वरूप क्या होगा, यह संबंधित विभाग/प्राधिकार/निगम/सोसाइटी द्वारा तय किया जा सकता है।</p> <p>यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील का प्रावधान केवल सेवा से हटाये जाने की स्थिति में लागू होगा।</p>	स्वीकृत।
	8.	<p>उपर्युक्त अनुशंसाओं का प्रभाव क्षेत्र (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 281–282) –</p> <p>उपर्युक्त अनुशंसाएं केवल संविदा कर्मियों के मामले में दी गई हैं। ये अनुशंसाएं अवैध नियुक्तियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों एवं वाह्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त कर्मियों के संबंध में लागू नहीं होंगी। दूसरे शब्दों में जिन कर्मियों की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 18.07.2007 को ज्ञापांक-3/एमो-78/2005–का 2401 द्वारा निर्गत संकल्प में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में की गई हैं, केवल उन्हीं संविदा कर्मियों के संदर्भ में उपर्युक्त अनुशंसाएं लागू होंगी। उमा देवी (ऊपर कंडिका 2.1,पेज 1–8) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन नियुक्तियों के संबंध में</p> <ol style="list-style-type: none"> पद स्वीकृत हों, नियुक्त कर्मी पद की अर्हता रखता हो, पद विज्ञापित किया गया हो, नियुक्ति हेतु स्कीनिंग समिति का गठन किया गया हो एवं चयन प्रक्रिया अपनायी गयी हो, नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई हो, आरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन किया गया हो, <p>केवल वे ही नियुक्तियाँ वैध संविदा नियुक्तियाँ हैं। जिन नियुक्तियों के संदर्भ में उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, वे अवैध नियुक्तियाँ कहलायेंगी।</p>	स्वीकृत।
	9.	<p>ज. संविदा कर्मियों की सेवा का नियमितीकरण (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 282–283) –</p> <p>नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में पूर्व से संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को भाग लेने हेतु निम्नलिखित सुविधा दी जा सकती है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> उम्र सीमा में शिथिलीकरण, कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता (weightage)। <p>साधारणतया उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ प्रायः सभी मामलों में दिया जा सकता है केवल वैसे मामले को छोड़कर, जहाँ कानून के तहत उसकी अनुमति न हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय तदर्थ शिक्षक नियोजन एवं अन्य बनाम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (ऊपर कंडिका-2.8 में विस्तार से वर्णन किया गया है) में स्पष्ट किया है कि खाली पदों को भरने में अन्य अर्हता प्राप्त प्रत्याशियों के साथ-साथ अपेक्षित योग्यता वाले उन सभी शिक्षकों (प्रत्याशियों) के मामले पर, यदि कानून इसकी अनुमति देता हो तो उम्र-सीमा को शिथिल करते हुए, अवश्य विचार किया जाय। उदाहरण के तौर पर पुलिस में नियुक्ति अथवा कई मामले ऐसे हो सकते हैं जहाँ उम्र-सीमा में शिथिल करने की अनुमति कानून/नियुक्ति नियमावली नहीं देता है। ऐसे मामले को छोड़कर समिति की अनुशंसा है कि नियमित नियुक्ति में भाग लेने हेतु पूर्व से संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों की उम्र-सीमा को शिथिल किया जा सकता है जिससे कि वे स्थायीकरण की प्रक्रिया में भाग ले सकें।</p>	<p>स्वीकृत।</p> <p>स्पष्टीकरण— परन्तु उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जायेगा जिस पद पर संविदा</p>

रमेश
17/9/18

	<p>जहाँ तक अनुभव के आधार पर अधिमानता का प्रश्न है, अधिमानता (weightage) देते समय अधिकृत विनियामक संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन को ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में जिन मामलों में इन अधिकृत विनियामक संस्थाओं के द्वारा दिये गये मार्गदर्शन लागू हैं उनमें नियुक्ति की योग्यता एवं अधिमानता (weightage) आदि मार्गदर्शन के अनुरूप ही होगी। अन्य मामलों में सेवा की आवश्यकता को देखते हुए विभाग सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर अधिमानता (weightage) के बिन्दु पर निर्णय ले सकता है एवं भर्ती विनियमावली में अधिमानता (weightage) का समावेश किया जा सकता है।</p> <p>यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिन नियुक्तियों में संविदा नियुक्ति के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, वे अवैध नियुक्तियाँ हैं एवं उनके संबंध यह अनुशंसा लागू नहीं होगी।</p>	नियोजन के तहत कार्य किया गया है।
10.	<p>त. मातृत्व अवकाश (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 283-284)-</p> <p>दिनांक 27 मार्च, 2017 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 “The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017” को स्वीकृति दी गयी है। इस अधिनियम के प्रावधान 01 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हैं। लेकिन पालना घर संबंधी प्रावधान 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी हैं। यह अधिनियम दस या दस से अधिक कार्यरत महिला कर्मचारियों के सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है, जिसमें सरकारी प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं।</p> <p>मातृत्व अवकाश की यह सुविधा ऐसी सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो किसी प्रतिष्ठान में पिछले 12 महीनों में 80 दिनों के लिये कार्य कर चुकी हैं। सन् 1961 के अधिनियम में 12 सप्ताह मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। अनुमानित प्रसव तिथि के पहले आठ सप्ताह तक का अवकाश अनुमान्य है एवं शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद अनुमान्य है। दो बच्चों के बाद मात्र 12 सप्ताह के लिये अवकाश अनुमान्य होगा – छ: सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पहले एवं छ: सप्ताह शिशु जन्म के बाद।</p> <p>इस अधिनियम की यह भी विशेषता है कि तीन महीने से कम उप्र के बच्चों को गोद लेने वाली या सरोगेट माँ को भी 12 सप्ताह की छुट्टी देय होगी।</p> <p>अधिनियम के तहत किसी प्रतिष्ठान में पचास से अधिक महिला कर्मी कार्यरत होने की स्थिति में प्रतिष्ठान के आसपास पालना घर का इंतजाम करना अनिवार्य है। महिला कर्मचारी अपने बच्चे की देखभाल के लिये काम के घंटों के दौरान चार बार अपने बच्चों से मिल सकती हैं। अधिनियम के तहत नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक महिला कर्मी को नियुक्ति के समय मातृत्व अवकाश के लाभों के संबंध में अवगत करायें।</p> <p>समिति की अनुशंसा है कि उपर्युक्त लाभ सभी महिला संविदा कर्मियों को दिया जा सकता है।</p>	स्वीकृत।
11.	<p>थ. संविदा कर्मियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू किया जाना (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 284) –</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि बीमा The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Act, 1952 के प्रावधानों के तहत देय है। अतः समिति द्वारा अलग से अनुशंसा अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह सुविधा पूर्णतया इस कानून के प्रावधानों के अनुसार ही देय होगी।</p>	स्वीकृत।
12.	<p>द. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाना (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 284) –</p> <p>समिति की अनुशंसा है कि जो भी संविदाकर्मी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत अधिनियम में निर्धारित लाभों को प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, उनको अधिनियम की शर्तों को पूरा कर लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है। संबंधित विभाग/प्राधिकार/निगम/सोसाइटी द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।</p>	स्वीकृत।

	13.	<p>घ. संविदा कर्मियों के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 284) –</p> <p>समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रत्येक विभाग/प्राधिकार/निगम/सोसाइटी द्वारा उनके यहाँ विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं यथा—केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित/ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त सम्पोषित परियोजनाओं एवं योजनाओं में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन करने की व्यवस्था की जाय। वार्षिक मूल्यांकन का मापदण्ड क्या होगा, इस संबंध में परिपत्र का निर्धारण संबंधित परियोजना/योजना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विभाग/प्राधिकार/निगम/सोसाइटी द्वारा सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त कर किया जा सकता है। संविदा कर्मियों के संबंध में इस तरह का वार्षिक मूल्यांकन अनिवार्य होगा।</p>	स्वीकृत।
विभागवार अनुशंसाएँ	14.	<p>46.2.1 ग्रामीण विकास विभाग</p> <p>(i) <u>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना</u> के अंतर्गत निम्नलिखित संविदा कर्मी कार्यरत हैं—</p> <ul style="list-style-type: none"> क. कार्यक्रम पदाधिकारी, ख. पंचायत तकनीकी सहायक, ग. पंचायत रोजगार सेवक, घ. कनीय अभियंता, च. लेखापाल, छ. कम्प्यूटर ऑपरेटर। <p>उपर्युक्त कर्मी संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसरण में नियुक्त किये गये हैं। अतः इनके संबंध में समिति द्वारा कंडिका—क, ग, च एवं त में दी गयी अनुशंसाओं में, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू होंगी।</p> <p>इनको स्वास्थ्य बीमा एवं मानदेय के 60 गुणा तक बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है। अतः समिति द्वारा ऊपर 'घ' में दी गयी अनुशंसाएँ इनके संबंध में लागू नहीं होंगी।</p> <p>इनके संबंध में दो स्तरीय अपील का प्रावधान है। अतः कंडिका—'ज' में दी गयी अनुशंसा भी इनके संदर्भ में लागू नहीं होगी। मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है।</p> <p>(ii) <u>जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए)</u></p> <p>जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में निम्नलिखित संविदा कर्मी कार्यरत हैं—</p> <ul style="list-style-type: none"> क. सहायक परियोजना पदाधिकारी ख. परियोजना अर्थशास्त्री ग. कार्यपालक अभियंता घ. सहायक अभियंता ड. तकनीकी सहायक च. सांखियकी अन्वेषक छ. लिपिक—सह—टंकक ज. सहायक 	स्वीकृत।

	<p>झ. आशुलिपिक त. वरीय लेखा पदाधिकारी थ. लेखा पदाधिकारी द. कार्यालय अधीक्षक / प्रबंधक एवं ध. लेखापाल / लेखा लिपिक</p> <p>उपर्युक्त कर्मियों के संबंध में कंडिका—क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू होंगी।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का प्रावधान भी पूर्व से है।</p> <p>(iii) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)</p> <p>बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के कर्मियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रत्येक वर्ष कुल मानदेय में पाँच प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। इनको यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य है। इनको वर्ष में 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं 24 दिनों का अर्जित अवकाश अनुमान्य है। महिला कर्मियों के लिये मातृत्व अवकाश की अवधि का विस्तार 180 दिनों तक किया किया गया है। इसके अतिरिक्त संविदाकर्मियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं— <p>क— कार्यक्षमता आधारित प्रोत्साहन,</p> <p>ख— चिकित्सा बीमा की सुविधा।</p> <p>अतः इनके संदर्भ में कंडिका—क, ग, च, ज एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू होंगी।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रति वर्ष वृद्धि का प्रावधान है। उसी प्रकार इनको चिकित्सा बीमा, दुर्घटना बीमा एवं यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p> <p>(iv) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)</p> <p>इस योजना के तहत संविदा पर निम्नलिखित कर्मी कार्यरत हैं—</p> <p>क. ग्रामीण आवास सहायक ख. ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक ग. लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) घ. कार्यपालक सहायक</p> <p>उपर्युक्त कर्मियों के संबंध में कंडिका—क, ग, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू होंगी।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक—311722, दिनांक 26.05.2017 से स्पष्ट है कि बिहार रुरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी, पटना की बैठक दिनांक 30.03.2017 में निर्णय लिया गया कि मनरेगा कर्मियों की भाति प्रधानमंत्री आवास योजना</p>	स्वीकृत।
--	--	----------

	<p>(ग्रामीण) / इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा नियोजित कर्मियों यथा— ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास सहायक एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में उनके निकट आश्रितों को मूल मानदेय का 60 गुणा आर्थिक सहायक प्रदान की जायेगी। इस राशि का भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत बिहार ग्रामीण विकास सोसायटी (BRDS) में विभागीय मुख्यालय स्तर पर संधारित प्रशासनिक व्यय मद की राशि से किया जायेगा।</p> <p>अतः कंडिका 'घ' में दी गयी अनुशंसा इनके संदर्भ में लागू नहीं होगी।</p> <p>(v) बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी</p> <p>इस सोसाइटी में निम्नलिखित संविदा कर्मी कार्यरत हैं—</p> <ul style="list-style-type: none"> क. प्रोग्राम एजीक्यूटिव ख. लेखा पदाधिकारी ग. मोनिटरिंग एंड इवल्यूएशन-टीम मेम्बर घ. ई-गवर्नेंस एंड आईटी० डायरेक्टर ङ. कंट्रोलर फाइनॉन्स <p>वर्तमान में लेखा पदाधिकारी का पद रिक्त है। लेकिन समिति सभी पदों के लिये अनुशंसा दे रही है, क्योंकि भविष्य में इस पद पर भी नियुक्ति की संभावना है। इन पदों के लिये समिति द्वारा कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू होंगी।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है।</p>	स्वीकृत।
15.	<p>46.2.2 स्वास्थ्य विभाग</p> <p>(i) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार</p> <p>राज्य स्वास्थ्य समिति में कार्यरत संविदा कर्मियों के संदर्भ में कंडिका—क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू होंगी। जहाँ तक मानदेय पुनरीक्षण का प्रश्न है, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रति वर्ष मानदेय में पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p> <p>(ii) पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्षमा नियंत्रण कार्यक्रम</p> <p>इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित संविदा कर्मी कार्यरत हैं—</p> <ul style="list-style-type: none"> क. वरीय यक्षमा पर्यवेक्षक ख. वरीय यक्षमा प्रयोगशाला पर्यवेक्षक ग. प्रयोगशाला प्रावैधिकी घ. डेटा एन्ट्री ऑपरेटर ङ. यक्षमा स्वास्थ्य परिदर्शक <p>उपर्युक्त के संदर्भ में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू होंगी।</p>	स्वीकृत।

	<p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p> <p>(iii) राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम</p> <p>उपर्युक्त कार्यक्रम के संविदा कर्मियों के संदर्भ में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू होंगी।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p>	स्वीकृत।
	<p>(iv) आयुष चिकित्सक (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक)</p> <p>इनके संदर्भ में कंडिका— क, ग, घ, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू होंगी। मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p>	स्वीकृत।
	<p>(v) बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर</p> <p>इस संस्थान में संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया का अनुपालन किन—किन मामलों में किया गया, बहुत स्पष्ट नहीं है। प्रबंधन से बातचीत के क्रम में ये स्पष्ट हुआ कि कुछ कर्मीणग के विरुद्ध कार्रवाई करने में संस्थान के प्रबंधन को कठिनाई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि विभागीय सचिव/प्रधान सचिव द्वारा एक समिति का गठन किया जाना चाहिए एवं इस बात का स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए कि कितने पदों पर कितने कर्मियों की नियुक्तियाँ संविदा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा—निर्देशों के अनुपालन में की गयी हैं एवं कितने पदों पर उन दिशा—निर्देशों का अनदेखा हुआ है। स्थिति स्पष्ट होने पर वैध रूप से नियुक्त संविदा कर्मियों के लिये विभाग कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं को, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू कर सकता है।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p>	स्वीकृत।
	<p>(vi) बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी</p> <p>इस सोसाइटी में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिये मानदेय में दस प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है। उसी प्रकार अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं मातृत्व अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। नाको द्वारा निर्धारित दर के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता भी अनुमान्य है।</p> <p>अतः कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p>	स्वीकृत।
	<p>(vii) राजकीय फार्मेसी संस्थान</p> <p>इस संस्थान के संबंध में आठ सहायक प्राध्यापकों द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया है। संस्थान के प्राचार्य की ओर से भी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्राचार्य ने स्पष्ट कहा है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तथा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा मापदंड निर्धारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय तदर्थं शिक्षक एसोसिएशन एवं अन्य बनाम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (उपरोक्त) में स्पष्ट कहा है कि जहाँ पर योग्यता का निर्धारण किसी अधिकृत विनियोगकर्ता संस्थान द्वारा किया जाता है, उन मामलों में अधिकृत विनियोगकर्ता संस्थान द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार ही नियमित नियुक्तियाँ की जा सकती हैं। उक्त मामले में योग्यता का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता को अनुरूप ही की जाएंगी। अतः इस मामले में भी नियमित नियुक्तियाँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तथा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा निर्धारित योग्यता एवं</p>	स्वीकृत।

	<p>मापदंडों के अनुसार ही की जाएगी। जब तक नियमित नियुक्तियाँ नहीं हो जाती हैं तब तक कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p> <p>(viii) पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल एवं अन्य महाविद्यालयों एवं अस्पतालों से प्राप्त प्रतिवेदन—</p> <p>राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों (देशी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सहित) में रोगी कल्याण समिति गठित किया गया है। निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ की गई हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधक 2. लेखापाल 3. स्वास्थ्य प्रबंधक <p>इन कर्मियों के संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p> <p>(ix) पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल—</p> <p>इस संस्थान में रीडर के 12 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 02 पद तथा ट्यूटर के 18 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 10 ट्यूटर संविदा पर कार्यरत हैं। (कार्यरत रीडर एवं ट्यूटर की संख्या अभ्यावेदन के आधार पर दी गयी है) इनकी नियुक्तियाँ नियमित नियुक्तियाँ नहीं होने के कारण की गई हैं। अतः इनके संदर्भ में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p> <p>(x) पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल—</p> <p>इस संस्थान में रीडर के 12 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 02 पद तथा ट्यूटर के 18 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 10 ट्यूटर संविदा पर कार्यरत हैं। (कार्यरत रीडर एवं ट्यूटर की संख्या अभ्यावेदन के आधार पर दी गयी है) इनकी नियुक्तियाँ नियमित नियुक्तियाँ नहीं होने के कारण की गई हैं। अतः इनके संदर्भ में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p> <p>(xi) बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता</p> <p>ये नियुक्तियाँ संविदा नियुक्ति नहीं हैं। आशा कार्यकर्ता एक स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ता है। अभी तक विभाग द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय नहीं लिया गया है कि आशा कार्यकर्ता कितनी उम्र तक कार्य कर सकती है। समिति की अनुशंसा है कि इनके संदर्भ में भी यह निर्णय लिया जा सकता है कि आशा कार्यकर्ता 60 (साठ) वर्ष की आयुसीमा तक कार्य कर सकती है। लेकिन अनुशासनिक कारण, कार्य असंतोषप्रद होने आदि कारणों से, जिस बिन्दु पर विभाग द्वारा सक्षम प्रधिकार का आदेश प्राप्त कर निर्णय लिया जायगा, 60 (साठ) वर्ष की आयु के पहले भी हटाया जा सकता है। बिहार सरकार द्वारा सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर इनके निकटतम आश्रित को चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि देने की स्वीकृति दी गयी है। अतः समिति की अनुशंसा है कि इनके संदर्भ में कंडिका— ग, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसा लागू की जा सकती हैं।</p> <p>जहाँ तक प्रोत्साहन राशि में बढ़ोत्तरी का प्रश्न है, विभाग द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। अतः समिति द्वारा इस बिन्दु पर कोई</p>	स्वीकृत।
--	---	----------

स्वीकृत।

17/9/16
रमेश

	<p>अनुशंसा नहीं दी जा रही है।</p> <p>(xi) ममता कार्यकर्ता</p> <p>ये नियुक्तियाँ संविदा नियुक्ति नहीं हैं। 'ममता' कार्यकर्ता एक स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ता हैं। वे प्रसव हेतु आयी महिलाओं का उपर्युक्त संस्थानों में आने से लेकर प्रसव के बाद उनके वापस जाने तक एक सहयोगी के रूप में उनके साथ रहती हैं। अभी तक विभाग द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय नहीं लिया गया है कि ममता कार्यकर्ता कितनी उम्र तक कार्य कर सकती हैं। समिति की अनुशंसा है कि इनके संदर्भ में भी यह निर्णय लिया जा सकता है कि ममता कार्यकर्ता 60 (साठ) वर्ष की आयुसीमा तक कार्य कर सकती हैं। लेकिन अनुशासनिक कारण, कार्य असंतोषप्रद होने आदि कारणों से, जिस बिन्दु पर विभाग द्वारा सक्षम प्रधिकार का आदेश प्राप्त कर निर्णय लिया जायगा, 60 (साठ) वर्ष की आयु के पहले भी हटाया जा सकता है। विहार सरकार द्वारा सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर इनके निकटतम आश्रित को चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि देने की स्वीकृति दी गयी है। अतः समिति की अनुशंसा है कि यह सुविधा ममता कार्यकर्ता को भी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कंडिका—ग, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसा लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(xii) विहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम</p> <p>इन संविदाकर्मियों के संबंध में कंडिका—क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p>	स्वीकृत।
16.	<p>46.2.3 शिक्षा विभाग</p> <p>(i) टोला सेवक</p> <p>वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अगस्त, 2015 से 20,000 (बीस हजार) उत्थान केन्द्र के टोला सेवकों वर्तमान मानदेय 5000/- (पांच हजार) रु0 प्रतिमाह से वृद्धि कर 8000/- (आठ हजार) रु0 प्रतिमाह करने, इनकी सेवाएँ 60 (साठ) वर्ष की आयुसीमा तक लेने एवं सेवाकाल में मृत्यु होने पर एकमुश्त 4,00,000 (चार लाख) रु0 की अनुग्रह राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः इनके संबंध में कंडिका—ख, ग, च, ज एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है।</p> <p>(ii) तालीमी मरकज</p> <p>वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अगस्त, 2015 से 20,000 (बीस हजार) उत्थान केन्द्र के टोला सेवकों एवं 10,000 (दस हजार) तालीमी मरकज केन्द्र के शिक्षा स्वयंसेवियों के वर्तमान मानदेय 5000/- (पांच हजार) रु0 प्रतिमाह से वृद्धि कर 8000/- (आठ हजार) रु0 प्रतिमाह करने, इनकी सेवाएँ 60 (साठ) वर्ष की आयुसीमा तक लेने एवं सेवाकाल में मृत्यु होने पर एकमुश्त 4,00,000 (चार लाख) रु0 की अनुग्रह राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः इनके संबंध में कंडिका—ख, ग, च, ज एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है।</p> <p>(iii) विहार शिक्षा परियोजना परिषद</p> <p>परिषद् में संविदा कर्मियों के संबंध में कंडिका—क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है। मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p>	स्वीकृत।
		स्वीकृत।
		स्वीकृत।
		स्वीकृत।

१८/१९/१८
१८/१९/१८

	<p>(iv) <u>किलकारी/बाल भवन</u> इस संस्था में कार्यरत सविदा कर्मियों के संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है। मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है।</p> <p>(v) <u>बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना समिति</u> इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं को लागू किया जा सकता है। मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान है।</p> <p>(vi) <u>बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्</u> इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती है। मानदेय में वृद्धि का प्रावधान पूर्व से है। यात्रा भत्ता भी अनुमान्य है।</p> <p>(vii) <u>बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड</u> इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती है। मानदेय में वृद्धि का प्रावधान पूर्व से है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा भी प्राप्त है।</p> <p>(viii) <u>साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम</u> शिक्षा विभाग के निदेशक, जन शिक्षा, ३० विनोदानन्द झा का पत्रांक—13/वि० ०३—२१/२०१५ ३०७२/ पटना, दिनांक ३०.११.२०१७ प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने भारत सरकार से प्राप्त अर्द्ध सरकारी पत्र सं०—९-७/२०१७-NLM.I (Part-II), दिनांक २३.०२.२०१८ संलग्न किया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार ने साक्षर भारत कार्यक्रम को ३१ मार्च, २०१८ तक विस्तार किया है। अतः इनके संबंध में कोई अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>(ix) <u>ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान</u> इस संस्थान के सहायक प्राध्यापकों द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया है। इन सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर की गई हैं। इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है, अगर इनको लागू करने से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं अन्य अधिकृत विनियामक संस्थानों के निर्देशों का उल्लंघन न हो।</p>	स्वीकृत।
17.	<p>46.2.4 श्रम संसाधन विभाग</p> <p>(i) <u>व्यवसाय अनुदेशक</u> व्यवसाय अनुदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। उम्र सीमा में छूट का प्रावधान माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा रंजन कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (सी०डब्ल्य०ज०सी० संख्या ७८९०/२०१३ में</p>	किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।
		<i>-३८९१/७/११८</i>

	<p>दिनांक 17/06/2014) में पारित आवेदन की कंडिका-10 में किया गया है। अतः इनके संबंध में कोई अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>(ii) लेखा लिपिक, बिहार भवन</p> <p>प्रवासी श्रमिक कोषांग, बिहार भवन में अम संसाधन विभाग की ओर से लेखा लिपिक की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गयी है। वर्ष 2008-09 में प्रतिमाह मानदेय पाँच हजार रुपये था जो अब सोलह हजार चार सौ रुपये कर दिया गया है। अतः इनके मामले में कंडिका- क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। जब भी इस पद पर नियमित नियुक्ति की जाएगी इनको, ऊपर कंडिका 'अ' में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार उप्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अधिमानता दी जा सकती है।</p> <p>(iii) राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना समिति</p> <p>राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना भारत सरकार द्वारा सम्पोषित परियोजना है। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राशि सीधे जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला बाल श्रमिक परियोजना समिति को भेजी जाती है। अतः समिति की अनुशंसा है कि इनके संदर्भ में कंडिका- क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है।</p> <p>(iv) भोजशाला / सर्विस बॉय्स</p> <p>बिहार विधानसभा भोजशाला में दैनिक भजदरी पर कार्यरत सर्विस बॉय्स ज की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे वर्ष 1987 से दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति में किसी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया प्रतीत होता है। इनकी मांग है कि इनकी सेवा को नियमित किया जाए। इनके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की राय ले कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।</p> <p>(v) औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर</p> <p>समिति की अनुशंसा है कि इनके संदर्भ में कंडिका- क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है।</p>	स्वीकृत।
18.	<p>46.2.5 विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग</p> <p>(i) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय</p> <p>विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 408 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गयी है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति की अनुशंसा है कि नियमित नियुक्ति होने के बाद संविदा पर कार्यरत सहायक प्राध्यापक के संबंध में भी कंडिका- क, ग, घ, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं, अगर ऐसा करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य अधिकृत विनियामक संस्थानों के मार्गदर्शनों के विपरीत न हो।</p> <p>जहाँ तक नियमित नियुक्ति में भाग लेने का प्रश्न है इस संबंध में एक याचिका संख्या-सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-१३८९१/२०१५ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इनके आवेदन को खारिज कर दिया है। अतः इस बिंदु पर समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की जा रही है।</p> <p>(ii) बिहार काउंसिल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी</p>	स्वीकृत।
		किसी निर्णय की

	<p>राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन) के सहयोग से "एडुसैट" के माध्यम से उत्कृष्ट कोटि के दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था हेतु एक स्टूडियो एवं 17 इंटरएक्टिव क्लास रूम स्थापित करने की योजना के अंतर्गत 06 पदों का वर्ष 2007–08 में सृजन किया गया जिनका विस्तृत उल्लेख ऊपर संगत कंडिकाओं में किया गया है। इनके मानदेय का पुनरीक्षण दिसम्बर, 2012 में किया गया है। विभाग के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2013 में विज्ञापन किया गया है। विज्ञापन के फलस्वरूप आवेदन प्राप्त हुये लेकिन कठिपय कारणों से इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है। उसी प्रकार श्री पासी सुनील सुबेदार की नियुक्ति भी बिना किसी प्रक्रिया की गयी है। अतः इनके संबंध में समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की जा रही है।</p> <p>(iii) बिहार रिमोट सेंसिंग ऐप्लिकेशन केन्द्र</p> <p>इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 1986 में की गयी थी। केन्द्र में सृजित पदों का उल्लेख ऊपर संगत कंडिकाओं में किया गया है। वर्ष 2013 में विज्ञापन किया गया था। कुल सात विज्ञापित पदों में से पाँच पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ की गई थी। इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है।</p>	स्वीकृत।
19.	<p>46.2.6 उद्योग विभाग</p> <p>(i) बिहार फाउंडेशन</p> <p>बिहार फाउंडेशन में कार्यरत संविदा कर्मियों का उल्लेख ऊपर संगत कंडिकाओं में किया गया है। इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है।</p> <p>(ii) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा)</p> <p>कार्यरत संविदा कर्मियों के चयन आदि के संबंध में ऊपर संगत कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है। इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(iii) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०एस०)</p> <p>इस प्राधिकार में कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p>	स्वीकृत।
20.	<p>46.2.7 समाज कल्याण विभाग</p> <p>(i) एकीकृत बाल विकास योजना (आई०सी०डी०एस०)</p> <p>राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय बाल संरक्षण एकक</p> <p>इस योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में ऊपर संगत कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत कुछ पदों पर नियमित वेतनमान के पदाधिकारी कार्यरत हैं। कुछ पदों पर, यथा—डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा बैल्ट्रॉन से प्राप्त की गई हैं एवं कई पदों पर संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसरण में संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ की गई हैं जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। जहाँ तक संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मियों का प्रश्न है उनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(ii) राज्य आयुक्त, निःशक्तता कार्यालय</p>	स्वीकृत।

	<p>इस कार्यालय में दो अनुदेशक एवं दो चालकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई हैं। इनके संदर्भ में कंडिका- क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>जिला पदाधिकारी, कैम्पूर द्वारा जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र में नियोजित दो कर्मियों के संबंध में प्रतिवेदन भेजा गया है। लेकिन चूंकि सभी जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं और न ही विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में प्रतिवेदन भेजा गया है, अतः समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की जा रही है।</p> <p>(iii) बिहार राज्य महिला आयोग</p> <p>बिहार राज्य महिला आयोग में संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसरण में कोई नियुक्ति नहीं की गयी है। अतः ये नियुक्तियाँ अवैध नियुक्तियों की श्रेणी में आयेंगी। इनके संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की राय ले कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।</p> <p>(iv) महिला हेल्पलाईन</p> <p>मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सभी 38 जिलों में महिला हेल्पलाईन की स्थापना की गयी है। यह हेल्पलाईन पूर्व में जिलाधिकारी के नियंत्रण में स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित थे, जिन्हें बाद में पूर्णतया जिला प्रशासन के अधीन कर दिया गया। हेल्पलाईन में निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ की गई हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> परियोजना प्रबंधक सहायक परियोजना प्रबंधक (केवल पटना जिले के लिए, पद महिला के लिए आरक्षित है) डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (केवल पटना जिले में कार्यरत हैं) अनुसेवक <p>इनके संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन के अभाव में कोई अनुशंसा नहीं दी जा रही है।</p> <p>(v) सक्षम (स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूर्ऊ एण्ड सोशल वेलफेयर)</p> <p>इस सोसाइटी में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों का उल्लेख ऊपर संगत कंडिकाओं में किया गया है। इनके संबंध में कंडिका- क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p>	स्वीकृत।
21.	<p>46.2.8 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग</p> <p>(i) चालकों के कुल स्वीकृत आठ पद (निदेशालय पक्ष-5 एवं सरकार पक्ष-3) के विरुद्ध कुल सात चालक कार्यरत हैं जिनमें से 5 संविदा के आधार पर नियुक्त हैं एवं दो की सेवायें बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से ली गयी हैं। ये पद स्वीकृत हैं। जिन 5 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है उनके संबंध में नियुक्ति की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया प्रतीत होता है क्योंकि विभागीय प्रतिवेदन विज्ञापन एवं आरक्षण के बिन्दु पर मौन है। अतः ये नियुक्तियाँ अवैध नियुक्तियों की श्रेणी में आयेंगी। इनके संबंध में विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की राय ले कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।</p> <p>(ii) बिहार महादलित विकास मिशन</p> <p>संविदा कर्मियों के चयन के संबंध में विस्तृत उल्लेख ऊपर संगत कंडिकाओं में किया गया है। यहाँ भी कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं बेल्ट्रॉन से ली गयी हैं। दो अनुसेवक एवं एक रात्रि प्रहरी की सेवा भी सेवा प्रदाता से ली गयी हैं। इनको छोड़ कर केवल वैसे संविदा पर कार्यरत कर्मी, जिनकी</p>	किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।
		स्वीकृत।

	<p>नियुक्ति चयन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये की गई हैं, के संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में अंकित अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(iii) विकास मित्र</p> <p>विकास मित्र को शुरू में 3000/- मासिक मानदेय दिया जाता था। कालान्तर में इनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाती रही। संकल्प सं-2940, दिनांक 24.08.2015 द्वारा इनका मानदेय 7000/- से बढ़ाकर अगस्त, 2015 में 10,000/- कर दिया गया।</p> <p>इसके अतिरिक्त आकस्मिक मृत्यु के मामले में 36 माह के मानदेय के बराबर अनुदान के अतिरिक्त चार लाख रुपये मात्र विकास मित्र के आश्रित को भुगतान किया जाएगा।</p> <p>यह भी निर्णय लिया गया कि विकास मित्रों से कार्य लेने की अधिकतम उम्रसीमा 60 वर्ष होगी। विभाग ने बताया कि अब प्रत्येक वर्ष इनकी सेवा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। सभी विकास मित्रों को कार्य सुविधा हेतु साईकिल खरीदने के लिये राशि उपलब्ध करायी गयी है। योजना के त्वरित कार्यान्वयन अनुश्रवण हेतु सभी विकास मित्रों को CUG सिम एन्ड्रॉयड मोबाइल के साथ उपलब्ध कराया गया है।</p> <p>अतः इनके संबंध में कंडिका— ख, ग, च, ज एवं त में अंकित अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(iv) राज्य महादलित आयोग</p> <p>राज्य महादलित आयोग में कोई संविदा कर्मी कार्यरत नहीं हैं। कम्प्यूटर ऑपरेटर बैलट्रॉन से लिये गये हैं, जिनके संबंध में अनुशंसा अलग शीर्ष के तहत दी गयी है।</p> <p>(v) राज्य अनुसूचित जाति आयोग</p> <p>राज्य अनुसूचित जाति आयोग में संविदा पर केवल पांच अनुसेवक कार्यरत हैं। अन्य कर्मियों की नियुक्तियाँ बिना विज्ञापन के की गई हैं। अतः केवल पाँच अनुसेवकों, जिनकी नियुक्तियाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में की गई हैं, के संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है।</p> <p>जिन कर्मियों की नियुक्तियाँ अवैध हैं, इनके संबंध में विद्वान महाधिवक्ता की राय ले कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।</p> <p>(vi) राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग</p> <p>इस आयोग में पांच स्वीकृत पदों के विरुद्ध दो कर्मी संविदा पर कार्यरत हैं। अतः इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है।</p> <p>इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा बैलट्रॉन से ली गयी है जिसके विषय में अलग शीर्ष के तहत अनुशंसा दी गयी है। चूंकि एक ज्ञाहू फरास को बिना विज्ञापन के रखा गया है, अतः इनकी नियुक्ति अवैध है।</p>	स्वीकृत।
22.	<p>46.2.9 पंचायती राज विभाग</p> <p>(i) न्यायमित्र</p>	<p>किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>स्वीकृत।</p>
		<p>नियोजन की अवधि के संदर्भ में वर्तमान</p>

	<p>प्रत्येक ग्राम कचहरी एवं न्यायपीठ को सहायता करने के लिए एक न्यायमित्र का नियोजन बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यायमित्र का नियोजन सलाहकार के रूप में किया गया है। इसी कारण नियोजन हेतु च्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष रखी गयी है। यह प्रावधान है कि प्रत्येक चुनाव के बाद ग्राम कचहरी नये सिरे से न्यायमित्रों का नियोजन कर सकेगी। विभागीय प्रतिवेदन में भी स्पष्ट किया गया है कि इनकी सेवा नियमित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इनका कार्य मुख्यतया ग्राम कचहरी में दायर वादों में परामर्श देना है। यही कारण है कि इनको न्यायालयों में वकालत करने की छूट है।</p> <p>यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इनका मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ाकर 7000/- रुपये कर दिया गया है।</p> <p>समिति की अनुशंसा है कि जिन न्यायमित्रों की आयु 60 वर्ष की नहीं हुई है, उनको 60 वर्ष की आयु तक वर्तमान शर्तों के अनुसार रखा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 के नियम 8 (2) एवं अन्य संगत नियमों में संशोधन किया जाए। इसके अतिरिक्त कंडिका ग, घ, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसा को लागू किया जा सकता है।</p> <p>(ii) ग्राम कचहरी सचिव</p> <p>ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन, सेवा शर्त एवं कर्तव्य के लिए 'ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014' बनायी गयी है। इस नियमावली के नियम-8(5) में कहा गया है कि इनकी कार्य अवधि ग्राम कचहरी की कार्य अवधि तक के लिए होगी। ग्राम कचहरी सचिव की ग्राम कचहरी के अभिलेखों के रख-रखाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः इनका बने रहना आवश्यक है। अब तक पूर्व से ग्राम कचहरी सचिव अपने पदों पर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि नयी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सका है। समिति की अनुशंसा है कि नियम-8(5) एवं अन्य संगत नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किया जाए की ग्राम कचहरी सचिव 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। कार्य असंतोषजनक रहने पर, स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य कारणों से 60 वर्ष के पूर्व इनको हटाया जा सकता है। नियम-12 में अनुशासनिक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है। समिति की अनुशंसा है कि नियम-12 में भी संशोधन किया जाए। नियम-12 के अनुसार दो निंदन की सजा दिये जाने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझे जाने का का प्रावधान है। समिति का मत्त्व है कि यह नियम Service Jurisprudence (सेवा विधिशास्त्र) के सिद्धांतों के विपरीत है। समिति की अनुशंसा है कि सजा गलती के समानुपातिक होनी चाहिए।</p> <p>यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ग्राम कचहरी सचिवों ने अपने अस्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि वर्ष 2007 की नियमावली में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक थी, जिसे वर्ष 2014 में इंटरमीडिएट (10+2) कर दिया गया है। इस संशोधन के कारण ग्राम कचहरी सचिव के लिये पुनः नौकरी पाना संभव नहीं होगा। चूंकि समिति की अनुशंसा है कि ग्राम कचहरी सचिवों को 60 वर्ष की आयु तक रखा जा सकता है, अतः इस संशोधन से वे प्रभावित नहीं होंगे। यह संशोधन नयी नियुक्तियों, जो अन्यथा रिक्त पदों के लिये की जाएंगी, के भासले में ही प्रभावी होंगे।</p> <p>इसके अतिरिक्त कंडिका- ग, घ, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, को लागू किया जा सकता है।</p>	
23.	<p>46.2.10 पर्यावरण एवं वन विभाग</p> <p>वन एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत पर्यावरण कोषाग में एक पद और योजना मद में सूजित किया गया है। तत्काल इस पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति कार्यरत है। समिति की अनुशंसा है कि इनके संबंध में कंडिका- क, ग, घ, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। चूंकि पद स्थाई है, इस पर नियमित नियुक्त आवश्यक है। नियमित नियुक्ति के समय वर्तमान पदधारक को नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने हेतु ऊपर कंडिका 'ज' में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार, उम्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अधिमानता दी जा सकती है। वर्ग 3 संविदा कर्मियों के संदर्भ में कंडिका 'च' में दी गयी अनुशंसा भी लागू की जा सकती है।</p>	

	<p>(i) <u>संजय गाँधी जैविक उद्यान</u></p> <p>संजय गाँधी जैविक उद्यान में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों के अभ्यावेदन एवं विभागीय प्रतिवेदन पर विस्तृत चर्चा ऊपर की गयी है। इस मामले में विधि विभाग की भी राय ली गयी है। समिति विधि विभाग की निम्नलिखित राय से सहमत हैः-</p> <p>“.....जहाँ तक उद्यान में कार्यरत शेष 25 कर्मियों का संबंध है इन्हें उम्र सीमा में छूट देते हुए उस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने व प्रार्थना पत्र देने का लाभ दिया जा सकता है।”</p> <p>(ii) <u>परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (PPMU)</u></p> <p>परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई के गठन हेतु ग्यारह पदों पर, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में संविदा पर नियुक्तियाँ की गई हैं। इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। इनके मानदेय में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है।</p> <p>(iii) <u>दुर्गावती जलाशय परियोजना</u></p> <p>इनके संबंध में विस्तार से ऊपर की संगत कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है। इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। इनके मानदेय में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है।</p> <p>(iv) <u>दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ</u></p> <p>इनके संबंध में विस्तृत उल्लेख ऊपर की कंडिकाओं में किया गया है। अभ्यावेदन एवं विभागीय प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि इनकी नियुक्तियाँ दैनिक वेतनभोगी के रूप में बिना किसी प्रक्रिया के अनुपालन में की गयी हैं। अतः ये अवैध नियुक्तियाँ हैं। इनके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की राय ले कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।</p>	स्वीकृत।
24.	<p>46.2.11 नगर विकास एवं आवास विभाग</p> <p>(i) <u>कनीय अभियंता</u></p> <p>इन कनीय अभियंताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर नियमित नियुक्ति में विलम्ब होने के कारण की गई हैं। अतः इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नियमित नियुक्ति के समय इनको, ऊपर कंडिका 'झ' में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार, उम्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अधिमानता दी जा सकती है।</p> <p>(ii) <u>बिहार शहरी आधारभूत विकास संरचना निगम लिमिटेड (बूड़को)</u></p> <p>इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(iii) <u>ए०डी०बी० सम्पोषित बिहार शहरी विकास निवेश कार्यक्रम</u></p> <p>इसके संबंध में ऊपर संगत कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है। इनमें कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में समिति की अनुशंसा है कि कंडिका—</p>	स्वीकृत।
		स्वीकृत।
		स्वीकृत।

मानविकी
17/9/18

	<p>क, ग, घ, च, ज, एवं त दी गयी अनुशंसाओं में से उन अनुशंसाओं को लागू किया जा सकता है, जो पूर्व से लागू नहीं हैं।</p> <p>यहाँ इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि यह योजना ए0डी0बी0 सम्पोषित है। अतः समिति की उन्हीं अनुशंसाओं को लागू किया जा सकता है जो ए0डी0बी0 के साथ हुये एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन में न हों।</p> <p>यही अनुशंसा राष्ट्रीय गंगा जलाशय प्राधिकरण के संविदा कर्मियों के संदर्भ में भी दी जाती है।</p> <p>(iv) नगर प्रबंधक</p> <p>इनके संबंध में ऊपर संगत कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है। विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि नियमित नियुक्ति हेतु नियमावली तैयार हो गयी है। विभाग द्वारा उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के उपरान्त नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। समिति की अनुशंसा है कि नियमित नियुक्ति की कार्रवाई यथासीमा कर ली जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में संविदा पर नियोजित नगर प्रबंधक भी भाग ले सकेंगे। इनको, ऊपर कंडिका 'झ' में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार, उप्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अधिमानता दी जा सकती है। जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक नगर प्रबंधकों के संबंध में कंडिका— क, ग, घ, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(v) बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना</p> <p>बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना में संविदा पर कार्यरत कर्मियों का उल्लेख ऊपर किया गया है। इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>ये अनुशंसाएं वरीय अंकेक्षक के मामले में भी लागू की जा सकती हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये अनुशंसाएं केवल उन्हीं कर्मियों के लिये लागू होंगी, जिनकी नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में की गई हैं। जिनकी सेवा वाह्य सेवा प्रदाता से ली गयी हैं, उनके संबंध में ये अनुशंसाएं लागू नहीं होंगी।</p>	स्वीकृत।
25.	<p>46.2.12 पथ निर्माण विभाग</p> <p>(i) कनीय अभियंता (असौनिक एवं यांत्रिक)</p> <p>इनके संबंध में समिति द्वारा नगर विकास विभाग में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं के लिये ऊपर दी गयी अनुशंसाएं लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(ii) संपर्क कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली</p> <p>इनके संबंध में ऊपर संगत कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है। जिन कर्मी की सेवा बिना किसी प्रक्रिया के अनुसरण के ली जा रही है वे नियुक्तियां अवैध हैं। इनके संबंध में विद्वान महाधिवक्ता की राय ले कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।</p>	स्वीकृत।
26.	<p>46.2.13 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</p> <p>(i) चकबंदी निदेशालय एवं भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय</p> <p>संविदा पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में विस्तार से उल्लेख ऊपर किया गया है। इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p>	स्वीकृत।

ग्रन्थालय
११/११/१८
Page 19 of 29

	<p>(ii) बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना</p> <p>इसके संबंध में उल्लेख ऊपर की कंडिकाओं में किया गया है। इन कर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में की गयी हैं। अतः इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p>	स्वीकृत।
27.	<p>46.2.14 जल संसाधन विभाग</p> <p>कनीय अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिक)</p> <p>इनके संबंध में समिति द्वारा नगर विकास विभाग में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं के लिये ऊपर दी गयी अनुशंसाएं लागू की जा सकती हैं।</p>	स्वीकृत।
28.	<p>46.2.15 लघु जल संसाधन विभाग</p> <p>कनीय अभियंता</p> <p>इनके संबंध में समिति द्वारा नगर विकास विभाग में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं के लिये ऊपर दी गयी अनुशंसाएं लागू की जा सकती हैं।</p>	स्वीकृत।
29.	<p>46.2.16 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</p> <p>(i) स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन</p> <p>बिहार भवन में तीन चालक संविदा नियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं। इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(ii) बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय</p> <p>नियमित नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है, इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(iii) मुख्यमंत्री सचिवालय</p> <p>विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय में डेटा एन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा बेल्ट्रॉन से प्राप्त की गयी है। जन शिकायत कोषांग के लिये कार्यपालक सहायक की सेवा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से ली गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बेल्ट्रॉन से प्राप्त कर्मियों के संबंध में अलग शीर्ष के तहत अनुशंसा दी गयी है। जहाँ तक कार्यपालक सहायक का प्रश्न है, इनकी नियुक्ति बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में संविदा के आधार पर की गयी है। अतः इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p>	<p>स्वीकृत।</p> <p>स्वीकृत।</p> <p>स्वीकृत।</p>
30.	46.2.17 ग्रामीण कार्य विभाग	

ग्रामीण कार्य विभाग
17/9/16

	<p>(i) <u>कनीय अभियंता</u> इनके संबंध में समिति द्वारा नगर विकास विभाग में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं के लिये ऊपर दी गयी अनुशंसाएं लागू की जा सकती हैं।</p> <p>(ii) <u>बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा)</u> अभिकरण में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों, यथा—वित्त प्रबंधक, सहायक वित्त प्रबंधक, सहायक लेखा प्रबंधक एवं लेखापाल के संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। प्रशासी विभाग द्वारा समिति की अनुशंसा के आलोक में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त कर मार्गदर्शन निर्णत किया जाएगा।</p>	स्वीकृत। स्वीकृत।
31.	<p>46.2.18 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग <u>कनीय अभियंता (असैनिक / यांत्रिक)</u> इनके संबंध में समिति द्वारा नगर विकास विभाग में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं के लिये ऊपर दी गयी अनुशंसाएं लागू की जा सकती हैं।</p>	स्वीकृत।
32.	<p>46.2.19 विधि विभाग चालक वर्तमान में संविदा पर कोई कर्मी कार्यरत नहीं है।</p>	किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।
33.	<p>46.2.20 कला संस्कृति एवं युवा विभाग (i) <u>दीर्घा सहायक</u> संविदा कर्मियों के संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। नियमित नियुक्ति के समय इन कर्मियों को ऊपर कंडिका 'झ' में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार, उप्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अधिमानता दी जा सकती है।</p> <p>(ii) <u>बढ़ई</u> संविदा के आधार पर एक बढ़ई कार्यरत है। नियमित नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक इनके संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p>	स्वीकृत। स्वीकृत।
34.	<p>46.2.21 भवन निर्माण विभाग <u>कनीय अभियंता</u> इनके संबंध में समिति द्वारा नगर विकास विभाग में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं के लिये ऊपर दी गयी अनुशंसाएं लागू की जा सकती हैं।</p>	स्वीकृत।

A handwritten signature in Hindi, likely belonging to the concerned authority, is placed here.

35.	<p>46.2.22 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</p> <p>राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना</p> <p>इनके प्रतिवेदन के अनुसार इनके यहाँ निम्नलिखित पदों पर नियुक्तियाँ की गई हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय परिचारी 2. कार्यपालक सहायक 3. आशुलिपिक 4. आई०टी० बॉय <p>जैसा कि ऊपर की कंडिकाओं में विस्तार से उल्लेख करते हुये कहा गया है कि कार्यालय परिचारी की नियुक्ति अवैध नियुक्ति की श्रेणी में आयेगी। आशुलिपिक एवं आई०टी० बॉय की सेवा, सेवा प्रदाता से ली गयी है। अतः इनकी सेवा नियमित नहीं की जा सकती है।</p> <p>कार्यपालक सहायक की सेवा जिला पदाधिकारी के द्वारा संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये गठित पैनल से ली गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कार्यपालक सहायक बैच कलर्क का काम देख रहे हैं। इस पद की नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। अतः कोई अनुशंसा अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम के पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।</p>	<p>किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।</p>
36.	<p>46.2.23 सामान्य प्रशासन विभाग</p> <p>(i) <u>बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान</u></p> <p>समिति की अनुशंसा है कि संस्थान के महानिदेशक एक समिति का गठन करें जो इस बात की जाँच करेगी कि किन-किन नियुक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है एवं किन नियुक्तियों के संदर्भ में इस निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। जिन नियुक्तियों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है उनके संबंध में उन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर नियुक्त कर्मियों के संबंध में कंडिका— क, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाएं, उन अनुशंसाओं को छोड़ कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं।</p> <p>नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति में इन कर्मियों को, ऊपर कंडिका 'झ' में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार, उप्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अधिमानता दी जा सकती है।</p> <p>जिन नियुक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है उनके संबंध में संस्थान स्वयं सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की राय लेकर कार्रवाई करना चाहेगा।</p> <p>(ii) <u>बिहार राज्य सूचना आयोग</u></p> <p>बिहार राज्य सूचना आयोग में कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा बेल्ड्रॉन से प्राप्त की गयी है। इसके संबंध में समिति द्वारा अलग शीर्ष के तहत अनुशंसा दी गयी है। इसके अतिरिक्त आयोग में कार्यरत चालक एवं आदेशपाल की नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः ये अवैध नियुक्तियाँ हैं। इनके संबंध में आयोग स्वयं सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की राय लेकर कार्रवाई करना चाहेगा।</p>	<p>स्वीकृत।</p> <p>स्वीकृत।</p>

23/9/18
17/9/18

		<p>सूजन की कार्रवाई करनी चाहिए, जिन पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संधारित मेधा सूची से संविदा नियुक्ति हेतु डेटा एंट्री ऑपरेटर लिये जा सकें।</p> <p>समिति की अनुशंसा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिये केवल बेल्ट्रॉन को सेवा प्रदाता घोषित किया जाए। यह अनुशंसा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे कार्यपालक सहायक, आईटी० सहायक एवं आईटी० प्रबंधक की व्यवस्था को किसी रूप में प्रभावित नहीं करेगी। विभाग अपनी स्वेच्छा से बेल्ट्रॉन से डेटा एंट्री ऑपरेटर अथवा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से कार्यपालक सहायक आदि कर्मियों की सेवा प्राप्त कर सकता है।</p> <p>इस बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वाह्य सेवा प्रदाता से किसी कर्मी की सेवा प्राप्त करने में भी आरक्षण अधिनियम का दृढ़ता के साथ पालन आवश्यक है।</p>	
45.	46.2.32 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद		किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।
46.	<p>पर्षद के कर्मचारियों द्वारा एक अम्बायेदन दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कर्मचारीगण बहुत दिनों से कार्यरत हैं। अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि इनकी सेवा नियमित की जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन कर्मचारियों का नियोजन बिना किसी विज्ञापन एवं बिना किसी नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसरण के किया गया है, अतः सभी नियुक्तियाँ अवैध हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। अतः सभी तथ्यों के नहीं रहने के कारण समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं दी जा रही है।</p> <p>46.3 सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-३/एम-७८/२००५-का० 2401, दिनांक- 18.07.2007 द्वारा संविदा पर नियुक्तियों के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। अतः यह आवश्यक है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मन्त्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-३/एम-७८/२००५-का० 2401, दिनांक 18.07.2007 में मन्त्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अनुशंसाओं का समावेश कर संशोधित संकल्प निर्गत किया जाए। तत्पश्चात् सभी विभागों द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे।</p> <p>प्रत्येक विभाग के सचिव/ प्रधान सचिव द्वारा एक वरीय पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर के रूप में नामित किया जाएगा जो समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन संबंधी संचिकाओं को सचिव/प्रधान सचिव को सीधे उपस्थापित कर सकेंगे। नोडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए समय सीमा के अंदर समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।</p>	स्वीकृत 17/9/18	

मंग १८
17/9/18